**मेल / निबंधित**

संoसंo–11 / टी0बी0(विविध)–12 / 2016–835 (11)

**स्वास्थ्य निदेशालय**

**बिहार, पटना**

प्रेषकः– **डॉ० आर० डी० रंजन,**
निदेशक प्रमुख (संचारी रोग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

**सिविल सर्जन,**
वैशाली, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), सिवान,
मधेपुरा, सीतामढ़ी, एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक– 29 / 11 / 2017

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्थ वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर समायोजनार्थ नियुक्ति करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–13 / मु० 10–06 / 2010 (अंश–I)–1122 दिनांक–16.05.2016**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में निदेशक, जनशिक्षा, बिहार, पटना के द्वारा कुल 45 अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिनका समायोजन चतुर्थ वर्ग के पद पर स्वास्थ्य विभाग में किया जाना है। उक्त के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–611(11), दिनांक–23.08.2017 एवं पत्रांक–708(11), दिनांक–05.10.2017 के द्वारा चतुर्थ वर्ग के पदों की रिक्ति मांगी गई थी। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा रिक्तियों की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

अतः अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सूची (जिलावार) एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प की प्रति संलग्न करते हुए निदेश है, कि **उन्हें उनके नाम के सामने अंकित जिलों में, आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए संकल्प में दी गयी शर्तों के अनुरूप अपने–अपने संबंधित जिलों में** 15 दिनों के अन्दर नियुक्ति की कार्रवाई करते हुए सूचित करें। सुपौल जिले में पर्याप्त / समुचित रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने के कारण सुपौल जिले के कुल 14 अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों (क्रमांक–20 से 33 तक) को मधेपुरा जिला के सिविल सर्जन नियुक्ति की कार्रवाई करेगें। संबंधित जिला एवं नियुक्ति किये जाने वाले उम्मीदवारों की क्रम संख्या निम्नांकित हैः–

| क्रम सं० | जिला का नाम | संबंधित उम्मीदवारों की सूची क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | वैशाली | क्रमांक 1 से 5 |
| 2 | पश्चिम चम्पारण (बेतिया) | क्रमांक 6 से 10 एवं 16 से 19 |
| 3 | सिवान | क्रमांक 11 से 15 एवं 34 से 39 |
| 4 | मधेपुरा | क्रमांक 20 से 33 |
| 5 | सीतामढ़ी | क्रमांक 40 से 42 |
| 6 | शेखपुरा | क्रमांक 43 से 45 |

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

**(डॉ० आर० डी० रंजन)**
निदेशक प्रमुख (संचारी रोग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\T.B\BIBIDH.docx

ज्ञापांकः–11 / टी०बी०(विविध)–12 / 2016–.....835.....(11) स्वा०        दिनांकः–27 / 11 / 2017

**प्रतिलिपिः–** जिला पदाधिकारी वैशाली / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / सिवान / मधेपुरा / सीतामढ़ी / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** निदेशक, जनशिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–**सभी संबंधित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/17

**निदेशक प्रमुख (संचारी रोग),**
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\T.B\BIBIDH.docx

# बिहार सरकार
# शिक्षा विभाग।
## *संकल्प*

पटना, दिनांक 27-04-17

**विषय :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समूह–'घ' के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्व नयी नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने के संबंध में।**

बिहार राज्य में वर्ष 1980–81 में 06–14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों का समायोजन विभिन्न विभागों के अधीन तृतीय वर्ग के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर संकल्प संख्या–27 दिनांक 12.01.2010 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है। इसी आधार पर लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के द्वारा भी समायोजन की माँग की जा रही थी।

इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शर्तें निर्धारित करते हुए निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने वाले भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की वास्तविक संख्या तथा पहचान स्थापित करने के लिये सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यी कमिटि का गठन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–934 दिनांक–14.04.16 द्वारा किया गया था। कालान्तर में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समायोजन हेतु निर्धारित शर्त्तों को संशोधित करते हुए प्रधान सचिव के आदेश संख्या–2121 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा जिलास्तरीय कमिटि को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

राज्य के सभी 38 जिलों से जिलास्तरीय कमिटि द्वारा कुल 4560 (चार हजार पाँच सौ साठ) व्यक्तियों की सूची जो समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करते हैं, को समायोजित करने के अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई अन्य सदृश्य अवमाननावाद दायर हैं जो सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में सूचीबद्ध है। इनमें पारित आदेश के फलाफल से समायोजन हेतु उपलब्ध अनुदेशकों की संख्या बढ़

सकती है। सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवानिवृति तिथि के क्रम में निदेशालय के स्तर पर एक समेकित सूची/पैनल तैयार किया जायेगा और इसी पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध समूह–'घ' की रिक्ति के विरुद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से निम्नलिखित रुप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है:–

(क) सरकारी सेवा में समूह–'घ' के रिक्त पदों पर जिलास्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वैसे अनुदेशकों का समायोजन किया जायेगा, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु शेष है तथा जो दिनांक–26.02.2016 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में स्पष्ट petitioner होने के साथ–साथ लगातार तीन वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रुप में कार्यरत रहे हों।

(ख) समायोजन के लिए समूह–'घ' पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात् माध्यमिक या समकक्ष उर्त्तीण व्यक्ति ही योग्य होंगे। उच्चतर योग्यता धारण करने के आधार पर किसी को समूह–'घ' से उच्च वर्ग में समायोजित किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। समायोजन राज्य सरकार द्वारा समूह–'घ' के स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जायेगा, इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(ग) समायोजन के क्रम में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा, जो व्यक्ति जिस आरक्षण श्रेणी के होंगे, उसी श्रेणी के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध उनका समायोजन होगा।

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी।

(ङ) नियुक्ति के लिए तैयार किये गये पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति के लिए नाम निदेशक, जन शिक्षा के स्तर से भेजा जायेगा, तत्पश्चात् संबंधित विभाग अपने स्तर से नयी नियुक्ति की कार्रवाई करेगा।

(च) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नयी नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रकम पर वेतन का भुगतान किया जोयगा। समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकेगा।

(छ) ग्रेडेशन/पैनल सेवानिवृति के तिथि के अनुसार तैयार किया जायेगा। जिनकी उम्र सेवानिवृत्ति के सबसे नजदीक हैं उनका समायोजन पहले करते हुए इसी क्रम में नियुक्ति/समायोजित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ज) रिक्तियों के अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति के लिये तैयार किये गये पैनल से जिन व्यक्तियों का समायोजन तत्काल नहीं हो पायेगा उनकी सूची संधारित कर अगले 5 वर्षों में रिक्त पद उपलब्ध होने पर उनके समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को उपर्युक्त के अनुसार समायोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगें।

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक –13/मु0 10–06/2010 (अंश–I) 945 पटना, दिनांक 27.4.17

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग।

पत्रांक–13/मु0 10–06/2010 (अंश–III) 2388 / 113

**बिहार सरकार**

**शिक्षा विभाग।**

**प्रेषक,**

**डॉ0 विनोदानन्द झा,**
निदेशक, जन शिक्षा,
बिहार, पटना।

**सेवा में,**

**श्री शंकर प्रसाद,**
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/9/17

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 657 (11) दिनांक 07.09.2017 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 1565 दिनांक 05.07.2017 से संकल्प संख्या 945 दिनांक 24.04.2017 के अनुसार समायोजन हेतु प्रेषित 45 अनौपचरिक शिक्षा अनुदेशकों की कोटिवार अद्यतन संशोधित सूची संबंधित अनुदेशकों के स्थायी पता सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुरोध है कि संलग्न सूची में अनुदेशकों को शीघ्र समायोजित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। 45 अनुदेशकों को समायोजित करने के उपरांत आपके नियंत्रणाधीन विभाग में समूह 'घ' की रिक्ति विवरणी आरक्षण रोस्टर के अनुसार शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इस संबंध में आपको मुख्य सचिव के पत्रांक–2323 दिनांक 08.09.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा भी आवश्यक निदेश दिये गये है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/9/17

**(विनोदानन्द झा)**
निदेशक, जन शिक्षा,
बिहार, पटना।

1922(11)
21.9.17

22/9/17

E:RANIKUMARI/RANIKUMARI/LETTER/ALL LETTER 2

112

## अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समायोजन हेतु अनुशंसित व्यक्तियों की सूची
## (निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य पारा मेडिकल), स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य विभाग, बिहार)

| क्र०सं० | नाम | पिता/पति का नाम | स्थायी पता | जन्म तिथि | योग्यता | जाति/कोटि | गृह जिला |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिनेश राम | स्व0 अशर्फी राम | ग्राम–जुड़ावनपुर, पो०–मनियारपुर, थाना–विदुपुर, जिला–वैशाली | 05-01-1972 | B.A | SC | Vaishali |
| 2 | राजकुमार पासवान | स्व0 विपत पासवान | ग्राम–पट्टीलीह, पो०–सेन्दुआरी, थाना–हाजीपुर सदर, जिला–वैशाली | 08-01-1972 | Inter | SC | Vaishali |
| 3 | रामबली पासवान | संतलाल पासवान | ग्राम+पो०–खोपी, थाना–जन्दाहा, जिला–वैशाली | 28-01-1972 | Matric | SC | Vaishali |
| 4 | देवेन्द्र भक्त | शोभित भक्त | ग्राम–मुस्ताफापुर, पो०–मनियारपुर, प्रखण्ड–विदुपुर, जिला–वैशाली | 06-02-1972 | B.A | SC | Vaishali |
| 5 | बलिंदर राम | रम्मी राम | ग्राम+पो०–मालपुर, थाना–पातेपुर, प्रखण्ड–पातेपुर, जिला–वैशाली | 03-03-1972 | B.A | SC | Vaishali |
| 6 | जगन्नाथ राम | स्व0 मुखी राम | सेमरावृत मझौलिया, पं० चम्पारण | 16-11-1966 | Matric | SC | West Champaran |
| 7 | शुभ नारायण प्रसाद | जमुना प्रसाद | नौतनवा सेमरी डुमरी गोवर्धना पं० चम्पारण | 02-01-1968 | Inter | ST | West Champaran |
| 8 | राजेन्द्र बैठा | रामाश्रय बैठा | मुजौना, सिकटा पं० चम्पारण | 12-08-1968 | Matric | SC | West Champaran |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | काशी पासवान | स्व0 रघुवर पासवान | चैलाभार, मझौलिया पं० चम्पारण | 02-05-1970 | Madhyama | SC | West Champaran |
| 10 | हीरालाल राम | रामचन्द्र राम | डुमरी, मझौलिया पं० चम्पारण | 13-06-1973 | Inter | SC | West Champaran |
| 11 | कृष्णदेव मांझी | स्व0 घोंघा मांझी | ग्राम+पो०–बसांव, प्रखण्ड–दरौदा, जिला–सिवान | 02-04-1965 | B.A | SC | Siwan |
| 12 | अक्षय कुमार राम | स्व0 किशुन राम | ग्राम–कटवार, पो०–दिधवलिया प्रखण्ड–रधुनाथपुर, जिला–सिवान | 15-03-1966 | Inter | SC | Siwan |
| 13 | अमलदेव राम | स्व0 शिवलोचन राम | ग्राम+पो०–डूमरा, प्रखण्ड–लकड़ीनवीगंज, जिला–सिवान | 15-06-1966 | Matric | SC | Siwan |
| 14 | शंकर हरिजन | स्व0 शिवजतन हरिजन | ग्राम+पो०–चैनपुर, प्रखण्ड–सिसवन, जिला–सिवान | 18-09-1966 | Inter | SC | Siwan |
| 15 | दूधनाथ राम | स्व0 रामस्वरुप राम | ग्राम–मैरी, पो०–कचनार प्रखण्ड–रधुनाथपुर, जिला–सिवान | 15-05-1967 | Matric | SC | Siwan |
| 16 | बालक साह | लक्ष्मी साह | बेलवा, गौनाहा पं० चम्पारण | 09-12-1963 | Inter | BC-1 | West Champaran |
| 17 | ईमामुल होदा | शेख हाफी | रूपवलिया शिकारपुर पं० चम्पारण | 02-05-1964 | Matric | GENERAL | West Champaran |
| 18 | सुरेश प्रसाद | स्व0 विशुनदेव साह | पड़रिया शिकापुर, नरकटियागंज पं० चम्पारण | 02-02-1966 | Matric | BC-1 | West Champaran |
| 19 | सुरेश महतो | स्व0 वृजमोहन महतो | घोडा घाट, खैरहनी, गोवर्धना पं० चम्पारण | 03-02-1966 | Inter | ST | West Champaran |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | बलराम मंडल | स्व0 मीठन मंडल | ग्राम–नररी, पो0–गोविन्दपुर प्रतापगंज, जिला–सुपौल | 03-07-1963 | Matric | BC-1 | Supaul |
| 21 | बालेश्वर राउत | भोगी लाल राउत | ग्राम+पो0– हरियाही निर्मली, जिला– सुपौल | 07-09-1963 | B.A | BC-1 | Supaul |
| 22 | राम ना0 परनामी | बौआलाल परमानी | पो0–डुमरी, ग्राम–दहगामा, प्रखण्ड–राघोपुर, जिला–सुपौल | 10-11-1963 | Inter | BC-1 | Supaul |
| 23 | शिव ना0 मेहता | बौकु मेहता | ग्राम+पो0–थुमहा पिपरा, जिला–सुपौल | 01-01-1964 | B.A | BC-2 | Supaul |
| 24 | राजेन्द्र कुमार दास | सुदमलाल दास | ग्राम–कामत किशुनगंज, पो0–मोहम्मदगंज, प्रखण्ड–छातापुर, जिला–सुपौल | 01-01-1964 | Inter | BC-1 | Supaul |
| 25 | घनश्याम मंडल | महगु मंडल | ग्राम+पो0–राधानगर प्र0 राघोपुर, जिला–सुपौल | 03-02-1964 | Inter | BC-1 | Supaul |
| 26 | राज कुमार मंडल | स्व0 मलुकी यादव | ग्राम–दुबियाही, पो0–लालगंज, प्र0–पिपरा, जिला– सुपौल | 05-02-1964 | M.A | BC-1 | Supaul |
| 27 | कुशुमलता शर्मा | भरत ना0 शर्मा | ग्राम–करहवाना, पो0–खूँटी, छातापुर, जिला–सुपौल | 05-02-1964 | M.A | BC-1 | Supaul |
| 28 | जय किशोर प्रसाद यादव | स्व0 भुवनेश्वरी प्रसाद यादव | ग्राम– सिहे, पो0–बकौर, जिला– सुपौल | 24-09-1962 | M.A | BC-2 | Supaul |
| 29 | महेन्द्र प्रसाद यादव | स्व0 मन्ना प्रसाद यादव | ग्राम+पो0–चरणे, भाया–जदिया, प्रखण्ड–छातापुर | 02-11-1962 | Matric | BC-2 | Supaul |
| 30 | विद्यानन्द प्रसाद यादव | पृथ्वी यादव | हृदय नगर, पो0–बसंतपुर, जिला–सुपौल | 12-01-1963 | Inter | BC-2 | Supaul |
| 31 | सुरेन्द्र कुमार सुमन | स्व0 दाहू यादव | ग्राम–तितुआहा, पो0–लतौना त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल | 15-03-1963 | Matric | BC-2 | Supaul |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | अशोक कुमार यादव | श्री गुलाबचन्द्र यादव | ग्राम–कटहरा, पो0–मोहनपूरा, प्रखण्ड–छातापुर, जिला–सुपौल | 13-04-1963 | Inter | BC-2 | Supaul |
| 33 | सत्य नारायण यादव | जामुन प्रसाद यादव | ग्राम–मयुरवा, पंचायत–कुशहा, प्रखण्ड–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल | 27-09-1963 | Matric | BC-2 | Supaul |
| 34 | सुरेन्द्र चौधरी | स्व0 सर्वजीत चौधरी | ग्राम–गम्भीरपुर, पो०–मिर्जापुर, प्रखण्ड–नवतन, जिला–सिवान | 09-07-1964 | Inter | BC-2 | Siwan |
| 35 | धनु प्रसाद यादव | स्व0 बच्चा प्रसाद यादव | ग्राम–देवापाली, पो०–चकरा, प्रखण्ड–सिवान, जिला–सिवान | 22-07-1964 | Matric | BC-2 | Siwan |
| 36 | धर्मनाथ चौधरी | स्व0 लखन चौधरी | ग्राम–अगसडा, पो०–रामपुर ससॉ, प्रखण्ड–दरौली, जिला–सिवान | 03-09-1964 | Matric | BC-2 | Siwan |
| 37 | मनन यादव | स्व0 जगदीश यादव | ग्राम–नेजा, पो०–दोन, थाना–दरौली, जिला–सिवान | 12-09-1964 | Matric | BC-2 | Siwan |
| 38 | राजकरण प्रसाद | स्व0 शिवपुजन प्रसाद | ग्राम–मैरीटार, पो०–डुमरहर, प्रखण्ड–गुठनी, जिला–सिवान | 28-12-1964 | B.A | BC-2 | Siwan |
| 39 | सुरेन्द्र यादव | शिवबालक चौधरी | ग्राम+पो०–चकरी, प्रखण्ड–दरौली, जिला–सिवान | 17-01-1965 | Matric | BC-2 | Siwan |
| 40 | चतुर्भुज प्राद | सुखदेव प्रसाद चौधरी | ग्राम–भकुरहर प्र०–बेरगनिया, जिला–सीतामढ़ी | 20-12-1963 | B.A | BC-2 | Sitamadhi |
| 41 | चन्द्रेश्वर भगत | सरयुग भगत | ग्राम–सिरसिया बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी | 02-03-1964 | B.A | BC-2 | Sitamadhi |
| 42 | खोभारी राय | बिन्दु राय | ग्राम–मसहा आलम, पो०–बेंगाही, थाना–बैरगनिया, जिला–सीतामढ़ी | 04-08-1965 | Matric | BC-2 | Sitamadhi |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | मोसर्रत अली | मो0 अबु जफर | ग्राम+पो०–नवीनगर, शेखपुरा | 01-01-1965 | Matric | BC-2 | Sheikhpura |
| 44 | अशोक सिन्हा | इन्द्रदेव सिन्हा | ग्राम–ससबहना, पो०–घुसकरी अरियरी, शेखपुरा | 07-01-1965 | Inter | BC-2 | Sheikhpura |
| 45 | रामदेव यादव | बैजनाथ यादव | ग्राम–ख्लाशपुर, पो०–गवय, शेखपुरा | 15-07-1967 | Matric | BC-2 | Sheikhpura |

**कुल– 45 (पैंतालीस) व्यक्ति।**

18/9/17

(विनोदानन्द झा)
निदेशक, जन शिक्षा
बिहार, पटना।